109

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,भोपाल

भोपाल, दिनांक 4/10 सितम्बर, 2013

:: आदेश ::

क्रमांक एफ. 2(क)18/13/बी–3/दो : राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के गठन हेतु निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता है:–

(1) राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल में नगर सेना से चयनित किए गए 550 नगर सैनिकों के बदले में नगर सेना में वर्तमान में स्वीकृत बल के अतिरिक्त 550 नगर सैनिकों के अतिरिक्त काल आउट की स्वीकृति।

(2) राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल के मुख्यालय एवं स्टेट कमांड सेंटर हेतु 44 एवं चार जिला इकाईयों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर) हेतु 88 कुल 132 पदों के सृजन की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

(अ) एस.डी.ई.आर.एफ. मुख्यालय एवं स्टेट कमाण्ड सेंटर हेतु:–

क्रमांक	पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड–पे
1	2	3	4	5	6
1	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक	1	I	67000–79000	—
2	पुलिस महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक/समकक्ष	1	I	37400–67000	10000
3	संभागीय सेनानी/समकक्ष	1	I	15600–39100	7600
4	जिला सेनानी/समकक्ष	1	II	15600–39100	5400
5	मेडिकल अधिकारी	1	II	15600–39100	5400
6	तकनीकी विशेषज्ञ	2	II	15600–39100	6600
7	कंपनी कमांडर/समकक्ष	2	III	9300–34800	4200
8	पी.सी./समकक्ष	4	III	9300–34800	3600
9	प्रधान आरक्षक/समकक्ष	8	III	5200–20200	2400
10	तकनीकी सहायक	1	III	5200–20200	1900
11	पुरूष नर्स	1	III	5200–20200	1900
12	वाहन चालक	8	III	5200–20200	1900
13	हेड क्लर्क	1	III	5200–20200	3200
14	लेखाकार ग्रेड–2	1	III	5200–20200	2400

15	स्टेनो	3	III	5200–20200	2800
16	कार्यालय सहायक ग्रेड–2 सह कम्प्यूटर आपरेटर	1	III	5200–20200	2100
17	कार्यालय सहायक ग्रेड–3 सह कम्प्यूटर आपरेटर	4	III	5200–20200	1900
18	भृत्य / दफ्तरी	3	IV	4440–7440	1300
	कुल पद	44			

(ब) जिला भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर इकाईयों हेतुः–

कमांक	पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड–पे
1	2	3	4	5	6
1	जिला सेनानी / समकक्ष	4	II	15600–39100	5400
2	कंपनी कमांडर / समकक्ष	4	III	9300–34800	4200
3	पी.सी. / समकक्ष	16	III	9300–34800	3600
4	प्रधान आरक्षक / समकक्ष	24	III	5200–20200	2400
5	तकनीकी सहायक	8	III	5200–20200	1900
6	पुरूष नर्स	4	III	5200–20200	1900
7	वाहन चालक	16	III	5200–20200	1900
8	स्टेनो	4	III	5200–20200	2800
9	कम्प्यूटर आपरेटर सह कार्यालय सहायक (सहायक ग्रेड–3)	8	III	5200–20200	1900
	कुल पद	88			

(3) एस.डी.ई.आर.एफ. मुख्यालय हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक / उप पुलिस महानिरीक्षक के पद भारतीय पुलिस सेवा के वर्तमान संवर्ग से ही उपलब्ध कराये जावेगें।

(4) सहायक ग्रेड–3 एवं ग्रेड–2 कम डाटा एन्ट्री आपरेटर्स के पदों की पूर्ति व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से की जावेगी।

(5) बल में प्रवेश के समय नगर सैनिकों की अधिकतम आयु 30 वर्ष एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष रहेगी।

(6) बल में चयनित नगर सैनिकों की कार्य अवधि एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कदाचरण, अनुशासनहीनता, अयोग्यता एवं कौशल विकास के अभाव आदि कारणों से उनकी सेवायें समय से पूर्व उनके पैतृक संस्था को वापस की जा सकेगी।

(7) अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति एवं सेना/अर्द्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों से संविदा नियुक्ति के संबंध में नियम गृह विभाग द्वारा शीघ्र तैयार किये जायेगें।

(8) नगर सैनिकों के लिए उन्हें समय–समय पर देय कुल राशि के 50 प्रतिशत के मान से आपदा जोखिम भत्ता देय होगा। यह भत्ता नगर सैनिकों को विहित प्रशिक्षण एवं कुशलता स्तर प्राप्त करने के उपरांत दिया जावेगा। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा नियम बनाये जायेगें। बल के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों (लिपिकीय संवर्ग को छोड़कर) विशिष्ट प्रशिक्षण एवं कुशलता भत्ता के लिए निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी।

(क) प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों/कर्मचारियों की राज्य आपदाआपातकालीन मोचन बल में पदस्थापना उपरांत दो स्तरों के विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर निर्धारित सक्षमता स्तर सफलतापूर्वक प्राप्त करने के उपरांत विशेष भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। प्रथम स्तर प्राप्त करने के उपरांत मूल वेतन तथा ग्रेड पे पर दस प्रतिशत की दर से विशेष भत्ता देय होगा। द्वितीय स्तर प्राप्त करने पर विशेष भत्ता पन्द्रह प्रतिशत की दर से देय होगा।

(ख) यह विशेष भत्ता केवल प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों व कार्यपालिक कर्मचारियों को देय होगा। लिपिकीय संवर्ग के विशेष भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

(9) वित्त विभाग द्वारा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से 05 प्रतिशत की सीमा तक राशि प्रतिवर्ष गृह विभाग के बजट में से प्रावधानित की जावेगी।

(10) बल के द्वारा संचार व्यवस्था हेतु पुलिस द्वारा उपयोग किए जा रहे टैट्रा सिस्टम (Tetra System) का उपयोग किया जावे।

(11) बल के संचालन एवं विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन हेतु प्रारूप आपरेटिंग मैन्युअल तैयार किये जाकर एक वर्ष तक अमल में लाये जावें तथा एक वर्ष पश्चात समीक्षा की जाकर आवश्यक सुधार के पश्चात स्टेन्डर्ड आपरेटिंग मैन्युअल लागू किये जावेंगे।

(12) यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्र.1071/CR-130/ब-4/चार दिनांक 02/10/13 द्वारा महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर को दो अतिरिक्त प्रतियों में पृष्ठांकित की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

20/9/13
(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

पृ.क्र.एफ. 2(क)18/13/बी-3/दो भोपाल, दिनांक 5/10 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपिः-

1. एक अतिरिक्त प्रतिलिपि सहित सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल।
2. एक अतिरिक्त प्रति, महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को पृष्ठांकन करने हेतु।
3. महानिदेशक, नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा, मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
5. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
6. सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
7. आयुक्त, कोष एवं लेखा, संचालनालय,भोपाल
8. विशेष सहायक, माननीय गृह मंत्री जी

की ओर सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

30/9/13
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग